न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं0–178/2017

DLR-163/2017

(1) बीर बहादुर सिंह, (2) लाल बहादुर सिंह, (3) बबन सिंह, सभी के पिता–स्व0 मथुरा सिंह, ग्राम+पो0–मोर सराय, थाना–शिवसागर रोहतास, वर्त्तमान पता– ग्राम–इटहट, बारूण, औरंगाबाद।

बनाम

(1) सरकार

(2) अरबिन्द कुमार सिंह उर्फ अशोक कुमार सिंह, पिता–स्व0 रामपरीखा सिंह, ग्राम–इटहट, पो0–खैरा, बारूण, औरंगाबाद।

आदेश

यह दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0–50/2016 में दिनांक–06.03.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध समाहर्त्ता, औरंगाबाद के न्यायालय में दायर किया गया है, जिसे निष्पादनार्थ इस न्यायालय को हस्तांतरण के फलस्वरूप प्राप्त हुआ, जिसमें खाता सं0–34, 43, के प्लौट सं0–128 वगैरह के कुल रकवा–1.03½ एकड़ से संबंधित है।

उभय पक्षों ने विद्वान अधिवक्ता को सुना।

पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि स्व0 मुखन सिंह, पिता–स्व0 केश्वर सिंह के नाती है। स्व0 केश्वर सिंह के एक मात्र पुत्र स्व0 मुखन सिंह निःस्तान एवं दो लड़की क्रमशः सुखिया देवी एवं पर्वतिया देवी जिसे छोड़कर स्वर्गवास कर गये। सुखिया देवी की शादी रामपरीखा सिंह एवं पर्वतिया देवी की शादी रामबच्चन सिंह, ग्राम–मोर सराय, जिला–रोहतास के साथ हुई।

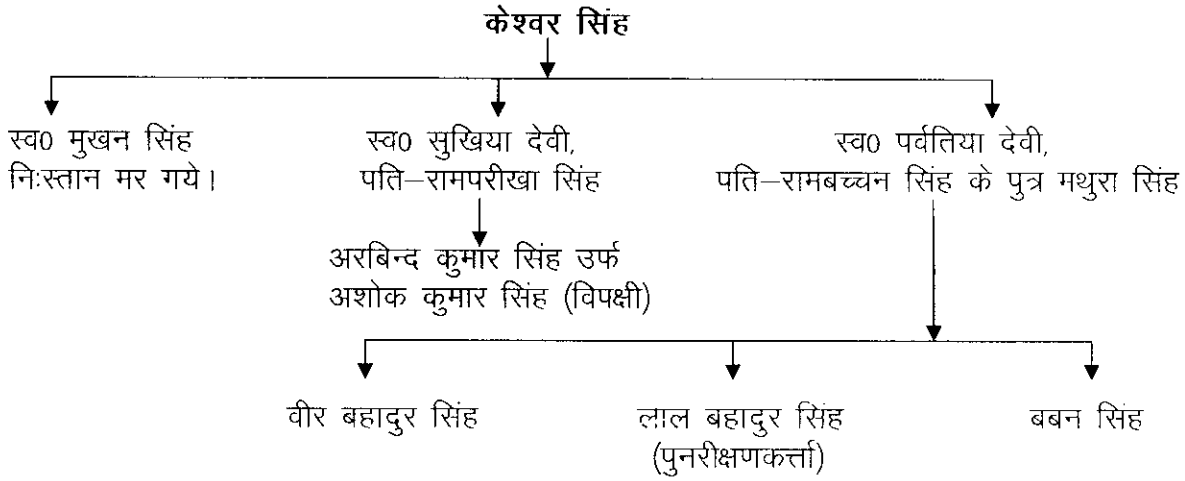

उपरोक्त वंशावली के अनुसार स्व0 मुखन सिंह अपने जीवनकाल में ही प्रश्नगत भूमि को वर्ष 1982 में अपने भगीना मथुरा सिंह को लिख दिया मथुरा सिंह मृत्यु के पश्चात् उनके तीनों लड़के द्वारा पुनरीक्षण वाद दायर किया है। मथुरा सिंह के मृत्यु के उपरान्त उनके तीनों लड़के (पुनरीक्षणकर्त्ता) प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा में आए।

विपक्षीगण एक शपथ पत्र के आधारपर एक मात्र उत्तराधिकारी बताते हुए अपने नाम से प्रश्नगत भूमि की दाखिल खारिज करवा ली गयी, जबकि केश्वर सिंह के एक लड़का स्व0 मुखन सिंह निःस्तान एवं स्व0 सुखिया देवी एवं स्व0 पर्वतिया देवी हुई। माननीय मुन्सिफ औरंगाबाद के न्यायालय में हकियत वाद सं0–83/1968 मुखन सिंह के द्वारा दायर किया गया, जिसमें रामपरीखा सिंह वगैरह को पक्षकार बनाया गया था जो सुखिया देवी के पति है तथा उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि केश्वर सिंह के एक लड़का स्व0 मुखन सिंह, सुखिया देवी एवं पर्वतिया देवी थी, लेकिन अंचल अधिकारी, बारूण बगैर जाँच किये कर्मचारी के प्रतिवेदन पर दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी, जबकि अंचल निरीक्षक द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया है कि डिमांडधारी की मृत्यु के पश्चात् अभिलेख में मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया है एवं आम सूचना निर्गत करने के उपरान्त ही दाखिल खारिज की स्वीकृति देनी चाहिए, जबकि अंचल अधिकारी, बारूण द्वारा बगैर सूचना दिये विपक्षी के नाम दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी, जो गलत है, जिसे भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा भी अंचल अधिकारी, बारूण के दाखिल खारिज आदेश को बहाल कर दिया गया। प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का दखल कब्जा भी नहीं है।

इस तरह अंचल अधिकारी, बारूण/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत नहीं है, इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी जमाबंदी रैयत मुखन सिंह के भगीना है जो मुखन सिंह के मृत्यु के उपरान्त उनके एक मात्र उत्तराधिकारी है, जिसके आधार पर प्रश्नगत भूमि के दाखिल खारिज करने हेतु अंचल सिरिस्ते में आवेदन पत्र दिया, जिसे जाँचोंपरान्त दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा भी उनके आदेश को बहाल कर दिया गया, जो न्यायसंगत है, जिसे बहाल किया जाना चाहिए।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से विदित होता है कि स्व0 केश्वर सिंह के एक पुत्र स्व0 मुखन सिंह एवं दो लड़की क्रमशः सुखिया देवी एवं पर्वतिया देवी हुई। मुखन सिंह निःस्तान स्वर्गवास कर गये। मुखन सिंह के मृत्यु के उपरान्त दो लड़की क्रमशः सुखिया देवी एवं पर्वतिया देवी जिनकी शादी क्रमशः रामपरीखा सिंह जो सुखिया देवी के पति हुए एवं पर्वतिया देवी के शादी रामबच्चन सिंह से हुई। सुखिया देवी के लड़के अरबिन्द कुमार सिंह उर्फ अशोक कुमार सिंह जो विपक्षी है एवं पर्वतिया देवी जौजे रामबच्चन सिंह के पुत्र मथुरा सिंह हुए, जिनके तीन लड़के बीर बहादुर सिंह, लाल बहादुर सिंह एवं बबन सिंह जो पुनरीक्षणकर्त्ता है। मुखन सिंह, पिता–स्व0 केश्वर सिंह के द्वारा एक हकियत वाद सं0–83/1968 दायर किया गया, जिसमें पारा नं0--03 में स्व0 मुखन सिंह द्वारा स्वीकार किया गया है कि केश्वर सिंह के एक लड़का स्व0 मुखन सिंह एवं दो लड़की यथा स्व0 सुखिया देवी एवं पर्वतिया देवी है। इससे स्पष्ट होता है कि स्व0 केश्वर सिंह के एक लड़का एवं दो लड़की थी, जो स्व0 केश्वर सिंह के लड़के मुखन सिंह निःस्तान स्वर्गवास कर गये। शेष दोनो लड़किया यथा सुखिया देवी एवं पर्वतिया देवी बची। विपक्षी द्वारा अपने आप को एक मात्र उत्तराधिकारी बताया जाना न्यायोचित नहीं है, जबकि स्व0 केश्वर सिंह के एक पुत्र एवं दो लड़किया यथा सुखिया देवी एवं पर्वतिया देवी थी जो सही है, जिसके आधार पर प्रश्नगत भूमि पर पुनरीक्षणकर्त्ता का दखल कब्जा है। अंचल अधिकारी, बारूण द्वारा सिर्फ शपथ पत्र के आधार पर विपक्षी को प्रश्नगत भूमि का एक मात्र उत्तराधिकारी मानते हुए दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी है जो सही प्रतीत नहीं होता है, जबकि राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का दखल कब्जा के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जो दाखिल खारिज नियमों के मुख्य बिन्दु दखल कब्जा है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी को दखल कब्जा नहीं है।

अंचल निरीक्षक, बारूण ने भी राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन पर यह टिप्पणी की गयी है कि अभिलेख में डिमांडधारी के मृत्यु के उपरान्त मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है तथा उनके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि आम सूचना निर्गत के उपरान्त ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया पुरी की जानी चाहिए, परन्तु अंचल अधिकारी, बारूण द्वारा दाखिल खारिज नियमों को नजर अंदाज करते हुए दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी जो विधिसम्मत नहीं है। इस प्रकार विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा भी अंचल अधिकारी, बारूण द्वारा विपक्षी के पक्ष में किये गये दाखिल खारिज की स्वीकृति को सही

ठहराते हुए आदेश पारित किया गया है जो दाखिल खारिज निमयों के विपरित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद दिनांक–06.03.2017 एवं अंचल अधिकारी, बारूण द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0–663/2015–16 में पारित आदेश नियमानुसार नहीं पाते हुए निरस्त करने की आवश्यकता महसूस करता हूँ।

अतः उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य में विद्वान भूमि सुधार उप समााहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा दिनांक–06.03.2017 एवं अंचल अधिकारी, बारूण द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0–663/2015–16 में पारित आदेश दाखिल खारिज नियमों के विपरित एवं नियमानुसार नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है।

तद्नुसार पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा दायर दाखिल खारिज पुन0 वाद स्वीकृत किया जाता है।

इस प्रकार वाद का निष्पादन किया जाता है।

इस आशय की सूचना निम्न न्यायालय को दें।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
औरंगाबाद।

अपर समाहर्त्ता,
औरंगाबाद।